

बिहार सरकार
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद।
(ई0 निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
पुनः ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या -02/औरंगाबाद/2026-27

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद।
2. निविदा आमंत्रित करने की तिथि :- दिनांक 08.05.2026
3. परिमाण विपत्र बिक्री (डाउनलोड) करने की तिथि एवं समय :- दिनांक 03.06.2026 से 02.07.2026 को अपराह्न 3 बजे तक
4. निविदा प्राप्ति (अपलोड) करने की तिथि एवं समय :- दिनांक 03.06.2026 से 02.07.2026 को अपराह्न 3 बजे तक
5. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान :- केवल वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर
6. प्री बीड मीटिंग की तिथि, समय एवं स्थान :- दिनांक-19.05.2026 को 15:00 बजे अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल गया का कार्यालय।
:- दिनांक-26.05.2026 को 15:00 बजे मुख्य अभियंता(द0) का कार्यालय
7. निविदा खोलने की तिथि एवं समय (तकनीकी बीड) :- दिनांक-03.07.2026 को 3:00 बजे अप0 तक (On Website www.eproc2.bihar.gov.in)
8. निविदा खोलने की तिथि एवं समय (वित्तीय बीड) :- तकनीकी बीड के उपरांत केवल Website www.eproc2.bihar.gov.in पर
9. निविदा वैधता की तिथि 120 दिन
10. कार्य विवरणी:-

क्र0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रधन राशि (रु0 में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रु0 में)	बीड प्रोसेसिंग राशि + सर्विस टैक्स	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद के विभिन्न भवनों तथा Heritage, 15 Court, Meadiation, FTC, Record Room में Fire Fighting कार्य	180.846 /-	3,62,000 /-	10,000 /-	As Per Online Requirement	6 माह
	कुल	180.846 लाख				

11. भवन निर्माण विभाग के समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदक ही निविदा में भाग ले सकते हैं।
12. प्राक्कलित राशि कम या अधिक हो सकती है। परिमाण विपत्र का मूल्य एवं अग्रधन की राशि उसी के अनुसार मान्य होगा।
13. Bid - processing charge and service Tax का भुगतान संवेदक Internet payment Gateway (Credit/ Debit Cards) अथवा Internal Banking अथवा NEFT/RTGS Challan के माध्यम से B.S.E.D.C के Bid- Processing Free Account में credit करेंगे।
14. निविदा केवल ई-निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाइट (w.w.w.eproc2.bihar.gov.in) पर निष्पादित किया जायेगा। ई-निविदा प्रक्रिया से संबंधित जानकारी Mjunction services limited RJ Complex, 2nd Floor, Canara Bank Campus Khajpura Ashiana Road P.S- Shastri Nagar Patna 800014 Bihar मो0- 9939035696 से प्राप्त किया जा सकता है।
15. ई-निविदा में भाग लेने के इच्छुक संवेदकों को ई-प्रोक्योरमेंट के साथ निबंधन कराना होगा। वेबसाइट पर आवश्यक निबंधन प्रपत्र उपलब्ध है। इस निबंधन से उन्हें User Id तथा Password तक मिलेगा। संवेदकों को DSC (Digital Signature Certificates) भी प्राप्त करना होगा। User Id, Password, DSC एवं इन्टरनेट के उपयोग से ही संवेदक ई-निविदा में भाग ले सकेंगे।
16. निविदादाताओं को सिर्फ वेबसाइट पर ही, निविदा कागजात प्राप्त (डाउनलोड) एवं जमा (अपलोड) करना होगा। सुनिश्चित जगहों पर भरे गये विहित प्रपत्रों को एवं आवश्यक कागजातों को समर्पित करना होगा। निविदा खुलने की जानकारी तथा निविदा सम्बंधित किसी भी प्रकार के शुद्धि पत्र की जानकारी वेबसाइट से प्राप्त होगी।
17. अग्रधन की राशि वेबसाइट w.w.w.eproc2.bihar.gov.in पर उपलब्ध विकल्पों के अनुसार online mode में जमा किया जा सकता है अथवा online mode में केवल किसी अधिसूचित भारतीय बैंक से निर्धारित प्रपत्र में निर्गत तथा कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञित बैंक गारंटी ही स्वीकार किया जायेगा तथा बैंक गारंटी का Online Verification होगा।

18. मात्र ऑनलाइन विधि से समर्पित EMD (अग्रघन की राशि) ही स्वीकार किये जाएंगे। यदि किसी निविदाकार द्वारा वीतिभ्रम रूप से EMD जमा किया जाता है, तो मात्र BG (Bank Guarantee) ही स्वीकार किया जाएगा। बैंक गारंटी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद के नाम से प्रतिज्ञापित होना चाहिए एवं उसकी वैधता निविदा प्राप्ति की तिथि से कम से कम 180 दिन होना चाहिए। सभी मूल कागजात यथा परिमाण विपत्र के मूल्य के लिए जमा की गई राशि का प्राप्ति स्वीद तथा अग्रघन के रूप में जमा किए जाने योग्य Bank Guarantee (B.G) की मूल प्रति अथवा Online mode में जमा किए गए राशि का प्राप्ति रसीद (जो भी लागू हो) को स्कैन कर Eproc-2 पर अपलोड करना आवश्यक होगा। अभियंता प्रमुख-सह-अपर-आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग बिहार पटना का ज्ञापक-4533 दिनांक-22.05.2025 के निर्देश के आलोक में Bank Guarantee मूल में जमा करने की अनिवार्यता समाप्त की जाती है तथा निविदाकार द्वारा E-BG के रूप में EMD जमा किया जा सकता है।
19. निविदा कागजात का मूल्य (जो किसी भी स्थिति में लीटाया नहीं जायेगा) को वेबसाइट (www.eproc2.bihar.gov.in) पर उपलब्ध विकल्पों के अनुसार online mode में ही स्वीकार किया जायेगा।
20. निविदा प्रपत्र वेबसाइट पर Tender free view में उपलब्ध है जिसे सिर्फ वेबसाइट से ही प्राप्त (डाउनलोड) किया जा सकता है।
21. कालीकृत या कार्य से डिबार किये गये संवेदक निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं।
22. कार्य पूर्ण जानकारी के लिए कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद या अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, गयाजी से किसी कार्य दिवस के कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।
23. बिना कारण बताये निविदा को अस्वीकृत करने/रद्द करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित है।
24. निविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि के पूर्व समय रहते हुए परिमाण विपत्र डाउनलोड एवं निविदा अपलोड कर दे, अन्यथा अंतिम समय में इंटरनेट सेवा बाधित रहने के कारण निविदा नहीं डाले जाने के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।
25. आवटन उपलब्ध होने के उपरांत ही भुगतान की प्रक्रिया की जायेगी।
26. अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-भवन/अभि0प्र0(यो0)-02-विधि 06/07-13407(म0)अनु0/म0नि0वि0 के कंडिका (8) डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड मौलिक कार्य के लिए 03 वर्ष एवं मरम्मत कार्य हेतु 01 वर्ष का होगा।
27. परिमाण विपत्र की राशि अंक गणितीय गणना में स्वीकृत पश्चात घट/ बढ़ सकती है।
28. श्रम अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र, जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड, परिमाण विपत्र के मूल्य का बैंक ड्राफ्ट अग्रघन के रूप में जमा की जाने वाली कागजात की प्रति एवं समाचार पत्र के कटिंग की प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।
29. चरित्र प्रमाण-पत्र विभागीय पत्रांक-01/अ0मु0स0को0/2021/29/अ0मु0स0को दिनांक- 25.01.2021 के निर्देशानुसार अपलोड करना अनिवार्य है।
30. निर्माण कार्य में TATA, SAIL, VIZAG & SHYAM STEEL की स्टील प्रयोग करेंगे।
31. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को (मध्यरात्रि से निविदा प्राप्ति के अंतिम समय तक) वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in सर्वर दो घंटे से अधिक समय तक लगातार डाउन रहता है तो निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि स्वतः अगले कार्य दिवस को उसी समय तक के लिए विस्तारित हो जाएगी।
32. कुल प्राक्कलित राशि में वास्तविक खर्च का एक प्रतिशत निर्माण श्रमिकों के लिए शेष के रूप में बिल भुगतान के समय काट लिया जायेगा।
33. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No-9941/2022 बिहार संवेदक संघ बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक-06.07.2023 को सुनवाई के उपरांत पारित न्यायादेश में वादी द्वारा दायर Writ याचिका को Dismissed कर दिया गया है। पथ निर्माण विभाग, बिहार के अधिसूचना सं0 447(S)-सह-पठित-ज्ञापक सं0-448(S) दिनांक-16.01.2020 एवं भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-566(म0) दिनांक-17.01.2020 में निहित शर्त इस निविदा में प्रभावी होंगे। सिड्यूल दर से कम दर उद्धृत करने पर बैंक गारंटी के रूप में अतिरिक्त जमानत की राशि निम्न प्रकार भी जमा करना होगा अन्यथा निविदा रद्द कर दी जायेगी:-
(क) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए अतिरिक्त जमा करना होगा।
(ख) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए अतिरिक्त जमा करना होगा।
(ग) परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए अतिरिक्त जमा करना होगा।
(घ) परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से अधिक कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए अतिरिक्त जमा करना होगा।
34. अभियंता प्रमुख-सह-अपर-आयुक्त-सह विशेष सचिव, के पत्रांक-भवन/अभि0प्र0(यो0)-02-विधि-06/2007-69(म0) पटना दिनांक-03.01.2023 के आलोक में कार्य समाप्ति की तिथि निर्धारित रहेगी।
35. निविदा में भाग लेने से पहले कार्य स्थल की जाँच संवेदक स्वयं कर ले। अन्यथा बाद में किसी तरह का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
36. निदेशक गुणवत्ता अनुश्रवण (द0) भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-01 दिनांक-01.01.2024 के आलोक में RCC में प्रयुक्त होने वाले Concrete Grade हेतु Mix Proportioning एवं स्थल पर Weigh-Batcher की व्यवस्था करना होगा।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर-आयुक्त-सह-विशेष सचिव भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-7974(प5) दिनांक-08.11.2022 के द्वारा CA द्वारा Certified/Audited/Attested किये जाने वाले Document तथा Audited Balancesheet/turnover certificate/ अन्य आवश्यक दस्तावेज पर UDIN नम्बर अंकित नहीं रहने पर Document को वैध नहीं माना जाएगा तथा निविदादाता को असफल घोषित कर दिया जाएगा।

38

खान एवं भूतत्व विभाग के पत्रांक-1407 दिनांक-06.03.2025 के आलोक में परियोजनाओं के लिए व्यवहृत लघु खनिज का ई-चालान/परमिट कार्यालय में समर्पित करना अनिवार्य होगा। यदि आपके द्वारा वैध ई-चालान/परमिट कार्यालय में समर्पित नहीं किया जायेगा तो मालिकाना फीस के अतिरिक्त व्यवहृत लघु खनिज के स्वामित्व का 25 गुणा राशि भी खनिज मूल्य के रूप में कटौती कर खनन शीर्ष में जमा कर दिया जायेगा।

39


Pan से Aadhar Link रहना आवश्यक होगा अन्यथा Income Tax विभाग के निर्देशानुसार 20 प्रतिशत Income Tax राशि की कटौती की जायेगी एवं विपत्र भुगतान के पूर्व अद्यतन माह का GST 3B कार्यालय में जमा करना होगा। अन्यथा भुगतान की कार्रवाई लंबित रहेंगी।

40

विस्तृत जानकारी के लिए (w.w.w iprdbihar.gov.in) पर देखा जा सकता है।

ह0/-
कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमण्डल, औरंगाबाद।

ज्ञापांक 792/ औरंगाबाद, / दिनांक 08/5/26
प्रतिलिपि:- जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी, औरंगाबाद को पॉच अतिरिक्त प्रतियों एवं सीडी के साथ प्रकाशन हेतु
अग्रसारित।


08/5/26
कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमण्डल, औरंगाबाद।